

62

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/2017/2561 विरुद्ध आदेश दिनांक 3-8-2017 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक 176/अ-12/16-17.

युवराज, सुवि
दोनों नाबालिग
दोनों पुत्र/पुत्री स्व०श्री भारतसिंह यादव
संरक्षक दादा खूबसिंह यादव
निवासी म.नं.01,कृष्णाकुंज,
होटल पैलेस के पास, शाहजहानाबाद
भोपाल

.....आवेदकगण

विरुद्ध

शहजाद अली आत्मज इम्तियाज
निवासी छोला रोड भोपाल म0प्र0

.....अनावेदक

श्री सुनीलसिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आई.पी.द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::



(आज दिनांक १/२/१७. को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-8-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।



2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम डोव तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित खसरा क्रमांक 184, 183 रकबा 2.23 हेक्टेयर के सीमांकन किये जाने हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 3-8-17 को आदेश पारित करते हुये आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण ने तहसील न्यायालय में जो आपत्ति प्रस्तुत की थी उक्त आपत्ति के संबंध में न तो आवेदक को सुना गया ना आपत्ति का विधिवत् निराकरण किया गया । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण ने अपनी आपत्ति में अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया था कि अनावेदक एवं आवेदकगण के खसरा नम्बरों में बन्दोबस्त की त्रुटि विद्यमान है जिसे सुधारे जाने हेतु प्रकरण क्रमांक 43/अ-6-अ/11-12 अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलित है । उक्त प्रकरण वर्ष 2011 से प्रचलित है इस कारण सर्वप्रथम उक्त अभिलेख को दुरुस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि राजस्व अभिलेखों को अद्यतन रखना जरूरी है । जब आर.आई. और पटवारी प्रतिवेदन से प्रमाणित हो चुका है कि उपरोक्त खसरे नम्बरों में बन्दोबस्त की त्रुटि है जिसे सुधारा जाना चाहिये । उक्त प्रकरण में कार्यवाही न करते हुये अधीनस्थ न्यायालय जानबूझकर अनावेदक को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से सीमांकन कराना चाहते हैं जो विधि विरुद्ध है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभिलेख शुद्ध होने पर ही सीमांकन विधिवत् हो सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अभिलेख सुधार के प्रकरण में कार्यवाही न कर सीमांकन करना चाहता है, जो संहिता के प्रावधानों के विपरीत है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानी ग्रस्त आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सीमांकन में आपत्ति सुनने का अधिकार राजस्व मण्डल को है जबकि आपत्ति को सुनने व निराकृत करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को था परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर आपत्ति


निरस्त की है । अंत में उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की निराधार आपत्ति को निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है । अतः तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपनी आपत्ति के समर्थन में राजस्व निरीक्षक के समक्ष कोई दस्तावेज/स्थगन पेश नहीं किया गया है इसलिये राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-8-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।




(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर